संख्या:38 /2019/30जी0आई0/22-3-19-100(4)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2019***

विषय: रिट याचिका (सिविल) संख्या-699/2016-अश्वनी कुमार उपाध्याय व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-04-2019 के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद को गुजरात राज्य की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार के पत्र संख्या-JLK/392019/943/J, दिनांक 27-05-2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद को केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद, गुजरात में निरूद्ध किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है-

(1) संबंधित बंदी द्वारा गुजरात राज्य के कारागार नियमों को माना जायेगा तथा कारागार की सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) संबंधित बंदी के खाने, कपड़े, विस्तर, दवा, पानी, बिजली आदि से संबंधित खर्चे त्रैमासिक अग्रिम के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वहन किया जायेगा, जिसे समायोजित कर लिया जायेगा। प्रथम बार में रू0-03.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद के पक्ष में बंदी को हस्तांतरित करते समय दिया जायेगा।

(3) यदि बंदी को किसी न्यायालय में अथवा अन्य उद्देश्य से कारागार से बाहर ले जाया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस टीम उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद के संबंधित प्राधिकारी से बंदी को अपनी अभिरक्षा में लिया जायेगा और उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित जेल प्राधिकारी को सौपा जायेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या-699/2016-अश्वनी कुमार उपाध्याय व अन्य बनाम संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-04-2019 के **बिंदु संख्या-(3)-"Ateek Ahmed shall be transferred to a jail in the State of Gujarat wherein Video Conferencing facilities are available"** के अनुपालन में तथा अनु सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार के पत्र संख्या-JLK/392019/943/J, दिनांक 27-05-2019 के अनुक्रम में केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद को गुजरात सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित शर्तो के अधीन केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद, गुजरात में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद की केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद में निरूद्धि के दौरान उसपर होने वाला व्यय(जो त्रैमासिक अग्रिम के रूप में देय होगा) व जिसके लिए गुजरात सरकार की मांग के अनुसार अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद, गुजरात के पक्ष में प्रथम बार रू0-03.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बंदी के हस्तान्तरण के समय दिया जायेगा जिसे संगत मद से वहन किया जायेगा।

4- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:38/2019/30जी0आई0(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिबन्धक, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
3. अनु सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार, ब्लाक नं0-2/द्वितीय तल, सरदार भवन सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात को उनके पत्र संख्या-JLK/392019/943/J, दिनांक 27-05-2019 के संदर्भ में।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विचाराधीन बंदी अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद की केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद में निरूद्धि के उपरान्त यदि उसे किसी न्यायालय में अथवा अन्य उद्देश्य से उक्त कारागार से बाहर ले जाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम द्वारा संबंधित जेल प्राधिकारी से उक्त बंदी को अपनी अभिरक्षा में लिये जाने एवं उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद के संबंधित प्राधिकारी को सौपे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिदेशक कारागार, जेल भवन, अहमदाबाद, गुजरात।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
7. जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
8. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार अहमदाबाद, गुजरात।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in